



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रूलिंग/मेडिकल/ 15/5940 दिनांक:-09.07.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-195/2018

विषय:-Removal of age limit of 25 years of medical facilities for dependent children of serving Railway employees and pensioners.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. 2017/H-1/2/10/R.C.F दिनांक 18.06.20178 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	2008/H-1/2/15 dt. 22.02.2018	76/2018

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (4 पृष्ठ)


(प्रदीप मिश्रा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

Ruling

(8)

3975
03/07/18

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

E/R No - 195/2018
P/1

सं.No. 2017/H-1/2/10/R.C.F.

नई दिल्ली, New Delhi, दिनांक dated 18.06.2018

The General Manager,
All Indian Railways and Production Units,
The Director General/RDSO, Lucknow and
The Chief Administrative Officers, DMW, Patiala and Rail Wheel Plant, Bela, Patna.

Sub: Removal of age limit of 25 years of medical facilities for dependent children of serving Railway employees and pensioners.

Ref: Board's letters no.2008/H-1/2/15 dated 16.02.2009 and 22.02.2018.

76/18

The matter of providing medical facilities to son of Railway employees/pensioners after being unemployed has been under consideration of this Ministry due to various representations received from different forums. Similar representations have also been received on the issue of providing medical facilities to divorced or widower son. Ministry of Railways has decided not to provide the medical facilities, once a son gets employed/married though he becomes unemployed or divorced or becomes widower later on, as the case may be.

Advance Correction Slip (S. No. 02 Health 2018) amending Para 601 (5) of IRMM-2000 is enclosed.

Harinder Sanhotra

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा/ Mrs. H. K. Sanhotra)
संयुक्त निदेशक-II, स्वा० / Jt. Director-II/Health
रेलवे बोर्ड/ Railway Board.

सं.No. 2017/H-1/2/10/R.C.F.

नई दिल्ली, New Delhi, दिनांक dated 18.06.2018

Copy for information and necessary action to:

1. The Principal Chief Medical Directors, CMOs, CMSs, All Indian Railways/PUs.
2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs.
3. The Principal Finance Advisor, All Indian Railways/PUs.
4. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/PUs.

SECR

CPO (IR)		
Dy. CPO (HQ.)	Dy. CPO (CON.)	Chairman (RRC)
SPO (RP)	SPO (GAZ.)	SPO (HBD)
SPO (HQ)	APO (Bills)	PS to CPO
PCPO		

प्रति
04/07/18

रेलवे

Advance Correction Slip to Para 601 (5) of IRMM-2000

E/R No - 193/18
P/2

In para 601 (5) may be substituted as under:

Para 601 (5): . Ministry of Railways has decided not to provide the medical facilities, once a son gets employed/married though he becomes unemployed or divorced or becomes widower later on, as the case may be.

(Authority: Board's letter No. 2017/H-1/2/10/R.C.F. dated 18 .06.2018)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

195/2018
P/3

सं. 2017/एच-1/2/10/आर.सी.एफ.

नई दिल्ली, दिनांक 18.06.2018

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

महानिदेशक/अअमासं, लखनऊ एवं

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू, पटियाला एवं रेल पहिया प्लांट, बेला, पटना.

विषय: सेवारत रेल कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के आश्रित बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा हटाना.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 16.01.2009 एवं 22.02.2018 का पत्र सं. 2008/एच-1/2/15.

रेलवे कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के पुत्र के बेरोजगार होने पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का मामला विभिन्न मंचों से प्राप्त विविध अभ्यावेदनों के कारण इस मंत्रालय के विचाराधीन है. तलाकशुदा अथवा विधुर पुत्र को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के मुद्दे पर भी ऐसे ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पुत्र की एक बार नौकरी लग जाने/विवाहित होने के बाद चिकित्सा सुविधा न दी जाए भले ही बाद में वह बेरोजगार अथवा तलाकशुदा अथवा विधुर हो जाए, जैसा भी मामला हो.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 601 (5) में संशोधन के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची (क्र. सं. 2 स्वास्थ्य 2018) संलग्न है.

हरिहर सिंह

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा)

संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एच-1/2/10/आर.सी.एफ.

नई दिल्ली, दिनांक 18.06.2018

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
3. प्रधान वित्तीय सलाहकार, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
4. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

195/2018

P/A

क्र. सं. 02 स्वास्थ्य 2018

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 601 (5) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

पैरा 601 (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

पैरा 601 (5): . रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पुत्र की एक बार नौकरी लग जाने/विवाहित होने के बाद चिकित्सा सुविधा न दी जाए भले ही बाद में वह बेरोजगार अथवा तलाकशुदा अथवा विधुर हो जाए, जैसा भी मामला हो.

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 18.06.2018 का पत्र सं. 2017/एच-1/2/10/आर.सी.एफ.)